# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

| तारीख हुक्म | | नम्बर अहकाम की तारीख हुए |
| --- | --- | --- |
| | हीरकल बनाम राज. सरकार<br>मु.नं.– 03/23 किस्म – अपील | |
| | पेश हो / | |
| 02.12.25 | पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 आंशिक स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। | |

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर
मुकदमा संख्या 03/2023 CCMS No. 2023/145
बीरबल बनाम राजस्थान सरकार
निर्णय दिनांक 02.12.2025

# राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

| मुकदमा संख्या | तारीख रजू | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 03/2023 | 11.08.2023 | 02.12.2025 |

**बउनवान**

बीरबल सैनी पुत्र रामकिशोर निवासी गोलाडा, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।

...अपीलांट

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बैजूपाडा जिला दौसा।

...रेस्पोडेन्ट

**उपस्थित**

1. अभिभाषक अपीलाट – श्री खेमसिंह गुर्जर।

**अपील विरूद्ध नामान्तकरण दिनांक 24.05.1990 ग्राम ठिकरिया द्वारा ग्राम पंचायत ठिकरिया तहसील बैजूपाडा दौसा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956**

## निर्णय

1. यह अपील अपीलांट की ओर से जरिये अधिवक्ता इस आशय की पेश की है कि अपीलांट बीरबल सैनी ग्राम गोलाडा तहसील बैजूपाडा का निवासी है। भूमि खाता सं. नया व पुराना 88 के खसरा सं. 123 रकबा 0.4500 हैक्टे., 124 रकबा 0.39 हैक्टे., 130/594 रकबा 0.0300 हैक्टे. ग्राम ठिकरिया, ग्राम पंचायत निहालपुरा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में स्थित है जिसमें अपीलांट का 1/16 हिस्सा है। नकल जमाबंदी संवत् 2080 वर्ष 2023 संलग्न है। विवादित आराजीयात पर अपीलांट के साथ अन्य सहखातेदारान भी हैं जो सभी अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त होते चले आ रहे हैं। अपीलांट के पिता के देहांत के उपरांत ग्राम पंचायत गोलाडा ने विरासत का नामांतकरण अपीलॉट के नाम दिनांक 24.05.1990 को खोला था। अपीलॉट के पिता की मृत्यु के उपरान्त ग्राम पंचायत गोलाडा ने दिनॉक 24.05.1990 को जो विरासत का नामान्तकरण खोला था उसमें अपीलॉट का नाम गॉव वालों से पूछकर तथा अपीलांट से बिना पूछे ही गॉव की बोल चाल का नाम मटोरया पुत्र किशोरया के नाम से खोल दिया जो कि गलत है जबकि अपीलॉट का वास्तविक नाम बीरबल पुत्र रामकिशोर है । अपीलॉट का वास्तविक नाम बीरबल पुत्र रामकिशोर अन्य समस्त दस्तावेजात में जैसे परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, बिजली का बिल,जन आधार कार्ड तथा बैंक पासबुक आदि समस्त दस्तावेजात में अपीलांट का नाम बीरबल पुत्र रामकिशोर ही है जो कि राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से मटोरया पुत्र किशोरया के नाम से नामांतकरण दिनांक 24.05.1990 को खोल दिया जो कि गलत है। अपीलॉट पढ़ा लिया व्यक्ति नहीं है केवल साक्षर है। इस कारण आज दिन तक अपीलांट को जमाबंदी में गलत नाम का पता नही लग सका। हल्का पटवारी द्वारा जानकारी मिली कि जमाबन्दी खाता संख्या नया 9 पुराना 88 के खसरा सं. 123 रकबा 0.45 हैक्टे., 124 रकबा 0.39 हैक्टे., 130/594 रकबा 0.0300 हैक्टे., कुल किता 3 कुल रकबा 0.8700 हैक्टे. में अपीलांट का

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

नाम मटोरया हो रहा है। जिसकी बाबत अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार ... को दिया और निवेदन किया कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में अपीलाट के नाम ... फरमाया जाये लेकिन तहसीलदार बैजूपाडा द्वारा साफ इन्कार करने की वजह से अपी... को अपने जमाबन्दी में अपना नाम सही करवाने हेतु अपील श्रीमान की सेवा में पेश ... लाजिमी आया है। अपीलांट को अपनी भूमि में अपना नाम सही करवाकर अपने नाम ... विद्युत कनैक्शन एवं अन्य कार्यो के लिये नाम शुद्ध करवाना आवश्यक हुआ है। इ... अपील सेवा में पेश है। अपील का श्रवणाधिकार श्रीमान् को प्राप्त है। अपील नियत ... फीस पर पेश है। अपील पटवारी हल्का द्वारा जानकारी दिये जाने से अन्दर मियाद प्र... है। अन्य सहखातेदारान का हिस्सा प्रभावित नहीं होने के कारण उन्हें पक्षकार नहीं ब... गया है। अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमा... जाकर राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अपीलांट का नाम मटोरया दर्ज कर दिया है जो गलत ... के स्थान पर बीरबल पुत्र रामकिशोर जो सही है, फरमाने के आदेश पारित करने की ... करें।

2. अपील को दर्ज रजिस्टर करके रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया। रेस्पोन्डे... बाद नोटिस तामील कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवा... अमल में लायी गयी। अपील में वर्णित कथनों के सम्बन्ध में तहसीलदार बैजुपाड़ा के द्वा... तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 23.04.2025 प्रस्तुत की गई कि ग्राम ठिकरिया आराजी खसरा ... 123, 124, 130/594, कुल किता 03, कुल रकबा 0.27 हैक्टे. में मटोरया पुत्र किशोर... जाति माली, सहखातेदार 1/16 हिस्सा दर्ज है। मिसल बंदोबस्त संवत् 2052-71 में ... उपरोक्तानुसार मटोरया पुत्र किशोरया नाम दर्ज है। इसलिए उनवान बीरबल बना... राजस्थान सरकार में अपील विरूद्ध नामांतकरण दिनांक 24.05.1990 ग्राम ठिकरिया में व... दर्ज प्रार्थना पत्र में वादी वाद स्वयं सिद्ध करें। तहसील कार्यालय में उक्त राजस्व रिकॉ... उपलब्ध नहीं है।

3. अपील पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाष... अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा अपील को स्वीकार किये जाने ... निवेदन किया।

4. अपील पत्रावली, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अ... दस्तावेजों यथा – तहसीलदार बैजूपाडा की रिपोर्ट दिनांक 23.04.2025, ग्राम पंचाय... गोलाडा के द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण सं. 69 आदेश दिनांक 24.05.1990 का अवलोक... किया गया।

5. ग्राम पंचायत गोलाडा के द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 69 के अवलोकन ... स्पष्ट है कि उक्त नामान्तरकरण के द्वारा ग्राम पंचायत गोलाडा द्वारा किशोरया के फौत हो... पर उसके वारिसान सुगरया, मटोरया, मुकेश, सुरेश के नामों की प्रविष्ठी दर्ज की गयी... तहसीलदार बैजूपाडा की रिपोर्ट दिनांक 23.04.2025 के अनुसार ग्राम ठिकरिया के आरा... खसरा सं. 123, 124, 130/594, कुल किता 03, कुल रकबा 0.27 हैक्टे. में मटोरया पु... किशोरया, जाति माली, सहखातेदार 1/16 हिस्सा दर्ज है। मिसल बंदोबस्त संवत् 2052-... में भी उपरोक्तानुसार मटोरया पुत्र किशोरया नाम दर्ज है। अपील पत्रावली के साथ प्रस्तु...

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज.

आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड में बीरबल पुत्र रामकिशोर नाम दर्ज है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत गोलाडा के द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 69 आदेश दिनांक 24.05.1990 में मटोरया पुत्र रामकिशोर का विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करते समय हुई त्रुटि को दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। इसलिये उक्त नामान्तरकरण संख्या 69 को उक्त नामान्तरकरण के द्वारा दर्ज प्रविष्ठी मटोरया पि. किशोरया की हद तक अपास्त किया जाना उचित है।

## आदेश

6. अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत गोलाडा के द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 69 आदेश दिनांक 24.05.1990 को उक्त नामान्तरकरण के द्वारा दर्ज प्रविष्ठी मटोरया पि. किशोरया की हद तक निरस्त किया जाता है और प्रकरण को इस निर्देश के साथ तहसीलदार बैजूपाडा को प्रति प्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार बैजूपाडा उक्त नामान्तरकरण सं. 69 से सम्बंधित समस्त पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर उक्त नामान्तरकरण के द्वारा दर्ज प्रविष्ठी मटोरया पि. किशोरया के सम्बन्ध में जांच कर निर्णय पारित करे। तहसीलदार बैजूपाडा को आदेश की पालनार्थ लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर, दौसा

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

7. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 02.12.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर, दौसा

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज